



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

स. 100] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 27, 2007/वैशाख 7, 1929  
No. 100] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 27, 2007/VAISAKHA 7, 1929

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2007

सं. एल-7/25(6)/2004-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात भारतीय विद्युत ग्रिड सर्वेहता (जिसमें इसके पश्चात “ग्रिड सर्वेहता” कहा गया है) में नियन्त्रित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन संशोधनों का संक्षिप्त नाम भारतीय विद्युत ग्रिड सर्वेहता (संशोधन) विनियम, 2007 है;

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. ग्रिड सर्वेहता के पैरा 1.3 (ii) में, “एसटीवू-एसईवी” शब्दों के स्थान पर, “एसईवी” शब्द रखा जाएगा।

के. एम. दींगरा, प्रमुख (विधि)

[विज्ञापन III/IV/150/2007 असा.]

टिप्पणी: भारतीय विद्युत ग्रिड सर्वेहता तारीख 17-3-2006 को भारत के राजपत्र, (असाधारण) भाग III, खण्ड 4 में अधिसूचित की गई थी और तारीख 28-8-2006 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खण्ड 4 द्वारा संशोधित की गई थी तथा तारीख 13-12-2006 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खण्ड 4 द्वारा और संशोधित की गई थी।